न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /01/2024

मूर्ति ठाकुरजी श्री राधावल्लभ जी महाराज विराजमान मंदिर ग्रांम पिडयानी तहसील भरतपुर जरिये संरक्षक
1–हुव्वलाल पुत्र भवानी
2–अतरसिंह पुत्र मनीराम

.....अपीलान्ट

बनाम

1–मल्लू पुत्र स्वामीनाथ जाति जोगी निवासी ग्रांम पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर

2–नारायनसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति गडरिया निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर

3–नायव तहसीलदार भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 09–11–2023 बाबत नामान्तकरण संख्या 794 ग्रांम पिडयानी, तहसील भरतपुर।

उपस्थितः–
1–श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री महाराजसिह डांगुर अभिभाषक रेस्पो. न.2
2– पैरोकार सरकार रेस्पो न.3

निर्णय **दिनांक 18.10.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 794 दिनांक 9.11.2023 ग्रांम पिडयानी, तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 रेस्पो.संख्या 2–नारायनसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति गडरिया निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर के हक में दर्ज किया जाकर दिनांक 9.11.2023 को तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.1.24 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. संख्या–1

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/24/729 दिनांक 15–02–2024 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट सतत नाबालिग है जिसके हितों की सुरक्षा के लिये जरिये संरक्षक अपील प्रस्तुत की है। संरक्षक मंदिर की देखभाल करते है मूर्ति में आस्था रखते हैं। योग्य अभिभाषक ने बताया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 700,701,702,703,707,709,710,711, एवं 712 कुल किता 9 रकवा 11बीघा 9 बिस्वा ग्रांम पिडयानी जिसके हाल खसरा नम्बर 939/0.16, 940/0.13, 933/0.31, 941/0.17, 942/0.18, 952/0.15, 951/0.26, 943/0.19, 944/0.19 बनाये गये हैं। यह आराजी मूर्ति श्री राधावल्लभ जी महाराज पिडयानी की कब्जे काश्त एवं माफी की आराजी है जिस पर पुजारी होने के आधार पर रामनाथ व स्वामीनाथ ने अपने नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज करा लिये तथा इसके बाद रामनाथ व स्वामीनाथ की मृत्यू के बाद उनके वारिसान अंकित हो गये जब कि कानूनन मूर्ति की माफी की आराजी पर पुजारी का इन्द्राज काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार पैदा नही होते हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि विववादित आराजी को लेकर श्रीमान न्यायालय द्वारा एक रेफरेन्स को दिनांक 6. 10.2008 को स्वीकार करते हुये गलत इन्द्राज को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया हुआ जो वहॉ विचाराधीन है। विवादित आराजी को लेकर सहायक कलेक्टर भरतपुर के यहॉ दावा विचाराधीन है जिसमें तथा आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म है, न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्त हो चुकी है। रेस्पो0 को इसकी जानकारी होते हुये भी विवादित आराजी का विक्रय किया गया। रेस्पो0 संख्या एक द्वारा गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर दिनांक 27.9.23 को उक्त आराजी को रेस्पो. संख्या 2 को विक्रय कर दिया और तहत न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार कर दिया है। अपीलान्ट को जमावंदी ई–मित्र से निकलवाने पर दिनांक 28.12.23 को दाखिल खारिज की जानकारी हुई तव जाकर नकल वगे. लेकर अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे।

अपीलाधीन

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि

नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 27.9.2023 के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है, विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण के खिलाफ अपील चलने योग्य नहीं हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने बताया कि राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के तहत नियम 133(सी) के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर केवल और केवल नामान्तकरण स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। विक्रेता काबिज खातेदार रहा है तथा क्रेतागण को विक्रय पत्र के तहत आराजी का कब्जा हस्तांतरित किया है, इसलिए क्रेतागण के हक नामान्तकरण स्वीकृत कराने का अधिकार है। विवादित आराजी से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से परिवेदित नहीं है इसलिये उन्हें अपील करने का कोई Locus standai नही है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है अपीलान्टस को आदेश की शुरु से ही जानकारी थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2024(1) पेज 94, डी.एन.जे. 2008 एस.सी. पेज 852, आर.आर.डी.1994 पेज 22, एवं आर.आर.डी.14.1.2011 पेज 33, उद्यरित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 तारीखी 9.11.23 का अवलोकन से जाहिर आया कि यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर भरा जाकर तहत न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

अपीलान्ट का कहना है कि विवादित आराजी के हक हकूकों को लेकर सहायक कलेक्टर भरतपुर के न्यायालय में दावा विचाराधीन हैं, जिसमें स्थगन आदेश जारी है तथा विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया हुआ है।

पत्रावली में उपलब्ध नकल सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 14.3.2011 सहायक कलेक्टर भरतपुर प्रकरण उनवानी मूर्ति ठाकुर जी बनाम लक्ष्मण वगै0 का अवलोकन किया गया, जाहिर आया कि विवादित आराजी पर रिसीवर कायम किया गया है। सहायक कलेक्टर के उक्त आदेश के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील की गई है, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील संख्या 19/11 उनवानी लक्ष्मण वगै0 बनाम मूर्ति ठाकुरजी महाराज राधावल्लभ वगै0 में पारित अपने निर्णय दिनांक 21.4.2022 को अपील खारिज करते हुये सहायक कलेक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 14.3.2011 (रिसवरी) बहाल रखा है। यानि विवादित आराजी रिसीवर नियुक्त है। सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा अपने रिसीवरी आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भरतपुर को जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/22/228 दिनांक 3.8.2022 से भेजी गई है। विवादित आराजी के हकू हकूकों को लेकर दावा आज भी विचाराधीन है, इस बात को योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने इन्कार नहीं किया है।

अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 27.9.2023 के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जब विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त है और इसी दरम्यान रेस्पो संख्या –1 के द्वारा रेस्पो संख्या–2 को रजि0 बैयनामा से विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में जब विवादित आराजी रिसीवरी में हो तो रेस्पो. 1 को विवादित आराजी को विक्रय करने एंवं विवादित आराजी का कब्जा हस्तान्तरण का अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार योग्य अभिभाषक रेस्पो का यह कहना कि कब्जा हस्तान्तरण हो गया है स्वीकार योग्य नही रहता है।

तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण रजि. बयनामा के आधार पर खोला गया है, जब कि विवादित आराजी पर सहायक कलेक्टर,भरतपुर स्थगन आदेश था तथा विवादित आराजी रिसीवरी नियुक्त किया जाकर तहसीलदार भरतपुर को व्यवस्था के लिये सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय की प्रति भेजते हुये तहसीलदार भरतपुर पत्र दिनांक 3.8.2022 लिखा हुआ है। नामान्तकरण फिसकिल प्रोसिडिंग है इसमें किसी के हक हकूक तैय नहीं होते हैं। विवादित आराजी के हक हकूकों को लेकर सहायक कलेक्टर भरतपुर के न्यायालय में दावा विचाराधीन है तथा विवादित आराजी को लेकर एक रेफरेन्स संख्या/10/05 निर्णय दिनांक 6.10.2006 को इस न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा हुआ है जो विचाराधीन है। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलेक्टर भरतपुर का स्थगन आदेश एवं रिसवरी नियुक्त के आदेश प्रभाव में रहते हुये स्वीकार किया गया है, जो नियमों के खिलाफ होने से काविल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /01/2024
मूर्ति ठाकुरजी महाराज बनाम मल्लू वगै0

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 दिनांक 9.11.2023 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)